



## भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड/ BHARAT ELECTRONICS LIMITED

सी आई एन/ CIN: L32309KA1954GOI000787

(रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Enterprise under the Ministry of Defence)

पंजीकृत कार्यालय: आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - ५६० ०४५

Regd. Office: Outer Ring Road, Nagavara, Bangalore – 560 045

### स्वतंत्र निदेशकों (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) की नियुक्ति के नियम और शर्तें

## Terms and Conditions of appointment of Independent Directors (Part Time Non Official Directors)

### 1. नियुक्ति / Appointment:

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के स्वतंत्र निदेशकों (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के आधार पर, बीईएल के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों को मंडल के निदेशकों द्वारा अपर निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में पुष्टि के अधीन होती है।

Independent Directors (Part Time Non Official Directors) of Bharat Electronics Limited (BEL) are appointed by the Ministry of Defence, Government of India. Based on the appointment letter issued by the Ministry of Defence, Government of India, the Independent Directors on the Board of BEL are appointed by the Board of Directors as Additional Directors. The appointment of the Independent Directors of the Company is subject to confirmation as Director by shareholders in the next Annual General Meeting of the Company.

### 2. कार्यकाल/ Tenure:

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

Independent Directors are appointed by the Ministry of Defence, Government of India for a period of three years or until further order, whichever is earlier.

### 3. पारिश्रमिक / Remuneration:

- i. मंडल/ समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को 20,000/- रुपये की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

The Independent Directors are paid sitting fees at the rate of Rs. 20,000/- for attending each for Board/ Committee meetings.

- ii. मंडल/ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा / आवास खर्च की प्रतिपूर्ति दी जाती है।

Reimbursement of travelling/ accommodation expenses for participation in the Board / Committee meetings.

#### **4. प्रवेश / Induction:**

स्वतंत्र निदेशक ( ) के प्रवेश के समय, निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएँ और प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 तथा अन्य लागू विनियमों के तहत निदेशक के रूप में पूरे किए जाने वाले आवश्यक कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और अनुपालन के विवरण के साथ निदेशकों को एक स्वागत पत्र दिया जाता है। कंपनी का प्रबंधन नव नियुक्त निदेशक ( ) को कंपनी, उसके कामकाज, कंपनी की विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं, कंपनी के विभिन्न प्रभागों, उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां, गवर्नेंस, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और कंपनी से संबंधित अन्य प्रासंगिक महत्वपूर्ण जानकारी से परिचित करता है। निदेशकों को मंडल से संबंधित पद्धतियों और अभिमुखी कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहित और प्रायोजित किया जाता है।

At the time of induction of an Independent Director(s), a welcome letter is addressed to Directors along with details of duties, responsibilities and compliances required to be performed as a Director under the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable regulations. The Management of the Company familiarises the newly appointed Director(s) about the Company, its operations, various policies and processes of the Company, various divisions of the Company, their role & responsibilities, the governance, internal control processes and other relevant important information concerning the Company. The Directors are also regularly encouraged and sponsored for attending important training programmes relating to Board related practices and orientation programmes etc. conducted by various Institutes of repute by the Company.